



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052023-245750
CG-DL-E-08052023-245750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]
No. 275]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2023/वैशाख 18, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2023/VAISAKHA 18, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

सा.का.नि. 345(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- इस संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियमावली पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ हिंदी अनुवादक	13* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (रुपए 44900-142400)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले एवं चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक	नहीं	दो वर्ष टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा	(क) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<p>अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम भी है हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो।</p>		<p>निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।</p>	
---	--	--	--

<p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएँ, जो सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएँ, जो सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रूपए 35400-112400) में ऐसे कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में सफलतापूर्वक दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रान्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन) या निदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) - सदस्य; तथा 3. उप निदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन) या निदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -अध्यक्ष; 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (1) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(2) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपए 35400-112400) में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा प्रदान की हो, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यता हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>2. संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) - सदस्य; तथा</p> <p>3. उप निदेशक (प्रशासन), विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) -सदस्य</p>	
---	--	--

[फा. सं. ए-12035/2/2018-ए(पीएंडटी)]

पंकज कुमार झा, उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2023

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Ministry of Small Scale Industries, Small Industries Development Organisation (Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Hindi Translator in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Senior Hindi Translator (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.-** No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Hindi Translator.	13*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7, (Rs. 44900-142400).	Selection post.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit, shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and for Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>(ii) recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government or Union territory Administration office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	No.	Two years. Note : Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	(i) 50 percent by direct recruitment; and (ii) 50 percent by promotion failing which by deputation.

<p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion, that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

<p>In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.</p>	<p>If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.</p>
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Junior Hindi Translators in Level-6 (Rs. 35400-112400) of pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field from a recognised Training Institute.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from the Central or State Governments or Union territories:</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(a) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Development Commissioner (Administration) or Joint Development Commissioner (Administration) or Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Chairman; 2. Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member; and 3. Deputy Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Development Commissioner (Administration) or Joint Development Commissioner (Administration) or Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Chairman; 2. Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member; and 3. Deputy Director (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) – Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12035/2/2018-A(P&T)]

PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)